Date: 28.08.2023	Publication: Navbharat Times
Page no: 7	Edition: Mumbai

Headline: Why health insurance claim gets rejected

आखिर क्यों खारिज हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम

sudha.shrimali@timesgroup.com

मुंबई: लगातार तेजी से वढ़ रहे मेडिकल के खर्चों को देखते हुए आम आदमी भी महंगे प्रीमियम के वाचजूद हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी प्राथमिकत बना रहा है, लेकिन कई लोगों की ओर से शिकायत सामने आती है कि कई बार उनका हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी क्लेम खारिज हो जाता है। इससे लोगों के मन में अक्सर भ्रम और कड़वाहट भी देखी जाती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई विशाल भारदाज की पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे ऑनलाइन केयर हेल्थ इंज्योरेंस ने प्री-एक्रिजस्टिंग डिजिज के नाम पर उनका क्लेम खारिज कर दिया और बाद में क्लेम अमाउट को प्रॉसेस भी कर दिया। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर क्लेम के खारिज किए जाने के बुनियादी कारण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर क्लेम खारिज हो जाए तो पीड़ित को क्या करना चाहिए।

क्लेम रिजेक्ट होने के बाद भी है उसे पाने की तरीके

क्यों होता है रिजेक्ट Bestak.org के फाउंडर महावीर चोपडा कहते जैन कहते हैं.



हैं, 'यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग मुद्दों को समझे, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के लिए खरीदा जात है। यदि आप क्लेम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो इंश्योरेंस में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस यॉलिसी खरीदते समय होमवर्क सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी पॉलिसी में सही घोषणाएं करें। वहीं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ सकेश

पॉलिसी होल्डर क्या ध्यान रखे?

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम के हेड भास्कर नेरनकर कहते हैं, 'पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियां ५5 दिनों का ग्रेस पीरियड प्रदान करती हैं, जिसके दौरान आप पॉलिसी अवधि के दौरान अर्जित लाभों को खोए बिना पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं।' जैन कहते हैं, 'हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी में, क्लेम के समय होने चली परेशानियों से बचने के लिए हेल्थ से संबंधित विवरण ईमानदरी से साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप खुद पार्म भरें और उसमें हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़े विवरण लिखें, क्योंकि प्री-एकिजस्टिन डिजिज फ्रियई तो क्लेम खारिज हो सकता है। कई बार लोग इंश्योरेंस कंपनी झरा मांगी नई डिटेल पर ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि बाद में वे देख लेंगे। ऐसे में चड़ एक बहुत बड़ा रिस्क है।'

क्लेम खारिज होने पर क्या करे?

अगर इंझ्योरेंस की ओर से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको सबसे पहले इंग्योरेंस कंपनी के ग्रीवांस रिव्रेसल ऑफसिर (Grievance Redressal Officer) के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर शिकायत करने के 15 दिन बाद तक आपकी सगरया नहीं सुलझती है, तो फिर इंश्योरेंस नियामक इरडा के पास Complaints@irdai.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।